



2026:AHC:30176

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2788/2026

मंजूर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : कृष्ण कुमार सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् सहायक कलक्टर (प्रथम श्रेणी)/तहसीलदार, तहसील संभल, जनपद संभल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 चुनौती के अधीन है।
2. उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याची के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
3. तदनुसार, रिट याचिका वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"